



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 644 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 13.05.2022

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-29 दिनांक 26.12.2020 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के क्रम संख्या 04 में निम्नवत व्यवस्था है कि:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
4	सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति के उपरान्त निदेशक (मा०सं०) द्वारा (वित्त) की सहमति से	रु० 1,00,000/- (रु० एक लाख) से अधिक के प्रकरण

उपरोक्त आदेश पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त बिन्दु में निम्नवत व्यवस्था को जोड़ा जाता है:-

"जिन अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक स्वयं हैं, उनके अथवा उनके आश्रित परिजनों से सम्बन्धित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकारों (रु० एक लाख से अधिक) के लिये एतद्वारा निदेशक (वित्त) को संस्तुति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है एवं निदेशक (वित्त) की सहमति के उपरान्त निदेशक (मा०सं०) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।"

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-29 दिनांक 26.12.2020 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 644 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक/डा०ए०आ०-निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परियोजना)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वक्त आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार जुंयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं०)